माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

निगरानी याचिका क्रमांक – /2018

निगरानी-3121/2018/देवास/2018

प्रस्तुति दिनांक – 18.06.2018

सुनील गुर्जर पिता श्री उत्तम सिंह गुर्जर

आयु – 28 वर्ष, कार्य – मजदूरी,

निवासी – ग्राम – नबीपुर, तहसील व जिला देवास (म.प्र.)

..............................**याचिकाकर्ता**

श्री .... द्वारा आज दि० 19.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 26-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

मोतीलाल पिता मांगीलाल नायर,

आयु – 47 वर्ष, कार्य – कृषि,

निवासी – ग्राम – नबीपुर, तहसील व जिला देवास (म.प्र.)

..............................**प्रत्यर्थी**

19/06/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू – राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश के विरूद्ध निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

"माननीय न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन, संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 550/अपील/2017–18 में पारित अंतिम आदेश 20.5.18

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3721/2018/देवास/भू-रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 550/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम नबीपुर तहसील व जिला देवास के कोटवार मांगीलाल पिता देवा द्वारा 70 वर्ष की आयु होने से तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन दिया गया कि वह कोटवार पद के कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ है अत: उनके पुत्र अनावेदक मोतीलाल को कोटवार पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 26.09.2017 द्वारा अनावेदक को ग्राम नबीपुर के कोटवार पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 29.01.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया तथा आवेदक को ग्राम नबीपुर का कोटवार नियुक्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 20.04.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया एवं विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विद्वान अपर आयुक्त एवं तहसीलदार महोदय द्वारा ग्राम सभा	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा परित प्रस्ताव ठहराव एवं संकल्प को नहीं देखा गया तथा मनमाने तरीके से अपना आदेश पारित किया है जो कि अवैध होकर औचित्यहीन है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान अपर आयुक्त ने ग्राम सभा के संकल्प को विधि अनुकुल नहीं बताया जाकर अपना आदेश पारित किया है और कहा है कि संहिता की धारा 230 में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है, परंतु उनको ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव एवं ठहराव एवं संकल्प पर विधि अनुसार कोई निष्कर्ष देने का अधिकार नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉनस्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में आता है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत बिना अधिकारिता के तथा बिना कोई विहित प्रावधान के आदेश 18 नियम 4 सीपीसी तहत साक्षियों के कथन लिए जाकर रेस्पोन्डेंट के हित में कोटवार के पद हेतु आदेश पारित किया गया था, परंतु वर्तमान याचिकाकर्ता सुनील गुर्जर को किन आधारों पर अयोग्य पाया गया था इसका कोई उल्लेख नहीं है जबकि याचिकाकर्ता 28 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति होकर कक्षा 9वीं तक पढ़ा लिखा है एवं शरीर रचना विज्ञान के अनुसार कम उम्र का व्यक्ति अधिक उम्र के व्यक्ति से अधिक क्षमतावान होकर अधिक कार्य गुणवत्तापूर्वक करेगा, परंतु उक्त महत्वपूर्ण तथ्य का विद्वान नायब तहसीलदार एवं विद्वान अपर आयुक्त के द्वारा अनदेखा कर दिया गया है और अपना आदेश पारित किया है, जो कि उक्त स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान अपर आयुक्त द्वारा यह अनियमितता की गई है कि अनावेदक मोतीलाल को इस आधार पर कोटवार पद दिया गया था कि वह पूर्व कोटवार का रिश्तेदार है तथा पूर्व के न्याय निर्णयों के आधार पर अपना आदेश पारित किया गया था जबकि म.प्र. पंचायत राज	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3721/2018/देवास/भू-रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवम ग्राम स्वराज अधिनियम वर्ष 1993 में अस्तित्व में आया था तथा प्रावधान के अनुसार ग्रामसभा को प्रदत्त अधिकार के अनुसरण में सहमति से यदि कोई संकल्प पारित किया गया है तब उस परिस्थिति में संकल्प को अपास्त किए जाने हेतु विधिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है एवम ग्रामसभा द्वारा पारित संकल्प को किसी भी परिस्थिति में किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता है परंतु विद्वान नायब तहसीलदार एवं अपर आयुक्त द्वारा उक्त सारवान तथ्य को अनदेखा कर पारित आदेश औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विद्वान नायब तहसीलदार एवं विद्वान अपर आयुक्त द्वारा यह तथ्य व्यक्त किया है कि निवृत्तमान कोटवारों के रिश्तेदारों को प्राथमिकता होने से नियुक्ति प्रदान की जावे, परंतु भू-राजस्व संहिता अथवा भारत के संविधान के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप कार्यपालिका कार्य करे तथा इस प्रकार की नियुक्ति उत्तराधिकार के आधार पर मानी जावेगी जो कि आरंभत: शून्य है। किसी भी पद के लिए योग्य व्यक्ति को चुनने के लिए उसकी शारीरिक एवं मानसिक अवस्था, कार्य करने की क्षमता एवं कार्यों को किस प्रणाली के माध्यम से करेगा यह देखा जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ऐसा कोई तथ्य नहीं देखा गया है। 4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य हैं कि अनावेदक ग्राम नबीपुर के पूर्व कोटवार का	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पुत्र है। संहिता की धारा 230 में पूर्व कोटवार के परिजन को नवीन कोटवार की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक को ग्राम नबीपुर का कोटवार नियुक्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का आदेश संहिता के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है कि अधीनसथ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव को अनदेखा किया गया है। ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने मात्र इस आधार पर कि आवेदक एवं अनावेदक में से आवेदक ज्यादा पढ़ा-लिखा होने के आधार पर उसे कोटवार नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनका आदेश त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि संहिता की धारा 230 के प्रावधानों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी कोई प्रावधान नहीं हैं। इसलिए किसी भी उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राथमिकता देना नियमानुसार नहीं है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 196, 1993 आर.एन. 293, 1987 आर.एन. 245 तथा 1986 आर.एन. 423 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शैक्षणिक योगयता के संबंध में नियमों में कोई उपबंध नहीं होने से पूर्व कोटवार के निकट संबंधी को ही अधिमान्य दिया जाना चाहिए। अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है इस कारण अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में उचित एवं वैधानिक कार्यवाही की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश औचित्यपूर्ण न्यायिक एवं	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3721/2018/देवास/भू-रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त **की** जाती है एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश **दिनांक** 20.04.2018 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	